



राज्यपाल संविवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या-30 (लो०सू०अ०) / 2022-23

श्री दीपक कुमार यादव, पिता—श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम+पोस्ट—रामपुर, थाना—गड़खा,
जिला—छपरा, साराणि

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं लोक सूचना पदाधिकारी—सह—प्राचार्य, देवराहा
बाबा श्रीधर दास डिग्री कॉलेज, रामपुर, गड़खा, साराणि 841311

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
01.07.2022	<p>श्री दीपक कुमार यादव, पिता—श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम+पोस्ट—रामपुर, थाना—गड़खा, जिला—छपरा, साराणि के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक— 29.06.2022 इस कार्यालय में दिनांक—01.07.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रुपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या—58F 983386 दिनांक—अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें।</p> <p>अपीलार्थी श्री दीपक कुमार यादव ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक—24.05.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा इसे लोक सूचना पदाधिकारी—सह—प्राचार्य, देवराहा बाबा श्रीधर दास डिग्री कॉलेज, रामपुर, गड़खा, साराणि को हस्तांतरित किया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार—सह—महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक— 24.05.2022 की प्रति भी संलग्न है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल संविवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>अपीलकर्ता श्री दीपक कुमार यादव ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">विशेष कार्य पदाधिकारी —सह— प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>



राज्यपाल सचिवालय, बिहार



राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या-30 (लो०स०३०) / 2022-23

श्री दीपक कुमार यादव, पिता-श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम+पोस्ट-रामपुर, थाना-गड़खा,
जिला-छपरा, सारण

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्राचार्य, देवराहा
बाबा श्रीधर दास डिग्री कॉलेज, रामपुर, गड़खा, सारण 841311

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
01.07.2022	<p>श्री दीपक कुमार यादव, पिता-श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम+पोस्ट-रामपुर, थाना-गड़खा, जिला-छपरा, सारण के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक- 29.06.2022 इस कार्यालय में दिनांक-01.07.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रुपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-58F 983386 दिनांक-अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत कराये।</p> <p>अपीलार्थी श्री दीपक कुमार यादव ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-24.05.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा इसे लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्राचार्य, देवराहा बाबा श्रीधर दास डिग्री कॉलेज, रामपुर, गड़खा, सारण को हस्तांतरित किया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक- 24.05.2022 की प्रति भी संलग्न है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संरथा है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>अपीलकर्ता श्री दीपक कुमार यादव ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>रामी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी —सह— प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p> <p>ज्ञापांक- 827/रा०५०(iii)</p> <p>प्रतिलिपि:- लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्राचार्य, देवराहा बाबा श्रीधर दास डिग्री कॉलेज, रामपुर, गड़खा, सारण 841311/ श्री दीपक कुमार यादव, पिता-श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम+पोस्ट-रामपुर, थाना-गड़खा, जिला-छपरा, सारण को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;">दिनांक-01-07-2022</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी</p>